संख्या-509/2022/3404/41-2022-115(सा0)/22 टीसी

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022**

विषयः-जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3231/8-16(पीपीपी-02)/अयोध्या विजन /2022 दिनांक 04 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण पी0पी0पी0 मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर के निर्माण कराये जाने की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रारम्भिक लागत, विशिष्टियों, स्टेट लेवल व फील्ड लेवल कमेटियों के गठन, बजट प्रबन्धन व पर्यटन विभाग की लगभग 12.05 एकड़ रिक्त भूमि पर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके कुछ हिस्से में सरयू यात्री निवास, राम कथा पार्क, (ओपन एयर थियेटर) रैन बसेरा तथा शिल्पग्राम इत्यादि पहले से ही निर्मित हैं। टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर का निर्माण करने से पूर्व इनमें से कुछ पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त भवनों को भी ध्वस्त किया जाना अपेक्षित है। उक्त टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों में रैन बसेरा की मूल्यांकित लागत रू0 1,86,77,250.00 तथा शिल्पग्राम की मूल्यांकित लागत रू0 1,59,23,000.00 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अयोध्या से प्राप्त मूल्यांकन आख्या दिनांक 01-08-2022 में दर्शायी गयी है। अयोध्या में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर विकसित करने के संबंध में प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव/आगणन की प्रस्तावित लागत रू0 185.00 करोड़ अनुमानित है, जिसे अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा मेसर्स ली एसोसिएट से अयोध्या विजन-2047 तैयार कराया जा रहा है।

3. उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर परियोजना के निर्माण व संचालन हेतु उक्त परियोजना को निम्नांकित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन पी0पी0पी0 (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड पर विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित कर संचालित किये जाने का निर्णय एतद्द्वारा लिया गया है:-

(1) परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(2) इस संबंध में प्रचलित सुसंगत नियमों/विधिक नियमों के अधीन सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरांत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त निर्णय के क्रियान्वयन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स-2016 (संशोधित) में प्रख्यापित व्यवस्था के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त अयोध्या मण्डल अयोध्या।
7- जिलाधिकारी, अयोध्या।
8- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/अयोध्या।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in